न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं03, उन्नाव
सत्र परीक्षण सं0–746/2020
राज्य प्रति मिथलेश उर्फ विमलेश एवं अन्य

05.03.2022

पुकारा गया ।

अभियुक्तगण मिथलेश, मनोज कुमार,राजवती,लल्लू,तेजपाल,सुरेन्द्र,अरूण उपस्थित है । शेष अभियुक्त राजकुमार, राजवती की हाजिरी माफी द्वारा अधिवक्ता स्वीकार की जाती है ।

अभियोजन की ओर से प्रार्थनापत्र वास्ते मंगाये जाने रिपोर्ट थाना माखी इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि उक्त मामले में अभियुक्त विनोद एवं श्रीमती सरमी की विवेचना प्रचलित थी परन्तु थाना माखी के द्वारा न ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है और न ही उनके विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया गया है । अतः विवेचना से सम्बन्धित आख्या मंगाये जाने की प्रार्थना की गई है ।

अभियुक्तगण की ओर से प्रार्थनापत्र का घोर विरोध किया गया है ।

अभियोजन के द्वारा अभियुक्तगण विनोद एवं श्रीमती सरमी के विरूद्ध चल रही विवेचना के सम्बन्ध में आख्या मंगाये जाने की प्रार्थना की गई है जबकि उपरोक्त आख्या मंगाये जाने से विवेचना में हस्तक्षेप होगा । अतः विवेचना से सम्बन्धित आख्या मंगाये जाने का आधार नहीं है । विवेचना सम्बन्धी आख्या मंगाये जाने हेतु दिया गया प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है ।

अभियोजन की ओर से न्यायालय के आदेश दिनांक 29.09.2021 का अनुपालन थाना माखी के द्वारा न किये जाने के सम्बन्ध में कथन किया है । आदेश दिनांक 29.09.2021 में प्रस्तुत मामले के चोटहिल निर्मल कुमार का बेडहेड टिकट व इलाज से सम्बन्धित प्रपत्र किंगजार्ज मेडिकल कालेज लखनऊ से एकत्र करके पत्रावली में सम्मिलित किये जाने हेतु थाना माखी को निर्देशित किया गया है । उपरोक्त प्रपत्र न्यायालय में अभी तक प्राप्त नहीं हुए है जिसके कारण मामले में आरोप विरचित नहीं हो पा रहा है । न्यायालय के आदेश का अनुपालन किये जाने का पत्र एस0पी0 उन्नाव को प्रेषित किया जाये ।

दिनांक 28.03.2022 को आरोप पर सुनवाई हेतु पेश हो ।

अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0 3,उन्नाव
05.03.2022